

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
न्यायालय सहायक कलक्टर (फारस्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
बनवारीलाल बनाम अजय कुमार व अन्य
वादपत्र संख्या 2021/12/

online #
अन्तर्गत धारा 53,88,188,92ए,209 आरटीए एक्ट

दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
2021	वादी की ओर से अधिवक्ता श्री बलराम सुथार द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत. वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत. दर्ज पंजिका हो. प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 को पेश हो ✓	
0.21	अग्निवन्तगण उपस्थित, जतिवारी संख्या-1,3,4,7-8 की ओर से अग्निवन्त श्री मोहनलाल माहर जतिवारी संख्या 05 की ओर से अग्निवन्त श्री सुधील कुमार एवं जतिवारी संख्या-12 की ओर से अग्निवन्त श्री भोगेश खड्गारत हाप कालवतनाम जहर, जतिवारी संख्या 1,3,4,7-8 की ओर से जवाक इत्यादि जतिवारी संख्या का पेश हो ✓ आज पीठासीन अधिकारी. राजम भडियान के सं पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक. 21.10.21 को पेश हो ✓	
10.21	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021, कैम्प ग्राम पंचायत में पेश हुई। पक्षकारान को आवार्जे लगाई गयी। हाजिर नहीं है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22.12.21 को पेश हो ✓	
12.21	आज पीठासीन अधिकारी. सुनाय कार्के के सं पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक. 17.12.21 को पेश हो ✓	
1.22	आज बार सघ न कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... 28.12.21 को पेश हो ✓	
12/22	आज बार सघ न कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... 28/12/22 को पेश हो ✓	



27/12/14 भाजपा सरकार का कार्य नहीं करना
का निर्णय लिया है। पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 27-1-15
को पेश हो ५

29/01/20

अखिलेश्वर वादी उपर नहीं पायी स्वयं
उपर नहीं पत्रावली काभी लम्बे समय से
तलबी दंड लक्षित पली आ रही है
वकील वादी को जूरी में पत्रावली अगार
दिने जा चुके हैं। वकील वादी को
आपातप संभय में विरन्तर कक-कककर
आवाजे लगायी गयी। वकील वादी हाजिर
नहीं आये अतः दस्तखत कर ५. व.
12/2 अखिलेश्वर वादी का भी अखिलेश्वर वादी
अखिलेश्वर वादी 53, 88, 188, 520, 203 एम
वकील वादी की अखिलेश्वर वादी / अखिलेश्वर वादी में
धरमन स्तर पर खासिक किया जाता है
पत्रावली में अखिलेश्वर वादी का भी अपेक्षित नहीं
है पत्रावली पत्रावली पत्रावली के अखिलेश्वर वादी
आखिलेश्वर वादी की अखिलेश्वर वादी